राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट–III जयपुर, दिनांक :– 23 SEP 2014

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– ग्रीन बिल्डिंग्स में प्रोत्साहन एफ.ए.आर. दिये जाने बाबत।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बीपीसी/2014/डी–1147 दिनांक 27.05.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 02.09.2014 को त्रुटि होने के कारण अधिक्रमित किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 के विनियम 19.7.21 में सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

विनियम सं. 19.7.22 :–

1. 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किये जाने पर अनुज्ञेय एफ.ए.आर. के अतिरिक्त 5 प्रतिशत (0.05) एफ.ए.आर. निःशुल्क निम्न शर्तों की पूर्ति किये जाने पर देय होगा :–
   (i) प्रश्नगत भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया हो तथा MNRE (GRIHA or LEED)/IGBC द्वारा भवन निर्माण पूर्ण होने पर LEED/IGBC द्वारा "गोल्ड" अथवा "प्लेटिनम" तथा MNRE/GRIHA द्वारा 4 स्टार अथवा 5 स्टार रेटिंग दी गई हो।
   (ii) ग्रीन बिल्डिंग के रेटिंग सिस्टम में उर्जा संरक्षण मुख्य रूप से आवश्यक है। इस दृष्टि से ऐसे भवन एनर्जी कन्जरवेशन बिल्डिंग डायरेक्टिव्स (ECBD) के मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ECBD के प्रावधान लागू किया जाना आवश्यक होगा, जिसका प्रमाणिकरण राज्य सरकार की संस्था राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रश्नगत भवन में पार्किंग व लैण्ड–स्केपिंग के प्रचलित विनियमों में दिये गये प्रावधानों की अनुपालना की गई हो।

(iv) प्रश्नगत भवन में अतिरिक्त एफ.ए.आर. उपयोग किये जाने के लिए भवन विनियमानुसार आवश्यक प्रावधान किये गये हों।

भवन मालिक/निर्माता को प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ग्रीन बिल्डिंग के मानदण्ड़ों की पूर्ति के संबंध में लीडरशिप इन एनर्जी एण्ड एन्वायरमेन्टल डिजायन (LEED) का प्रमाण पत्र तथा ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी की अनुशंषा प्राप्त कर प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी। यदि भवन मालिक/निर्माता द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र निर्धारित समय पर प्राधिकरण में नहीं दिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रमाण–पत्र 30 दिन की अवधि में उपलब्ध कराने का नोटिस दिया जायेगा। नोटिस अवधि के उपरान्त भी भवन मालिक द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आवेदक को अनुज्ञेय किये गये 0.05 निःशुल्क एफ.ए.आर. पर बैटरमेन्ट लेवी के 200 प्रतिशत की दर से राशि वसूल की जायेगी।

2. 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड़ों पर वर्तमान में निर्मित भवन को ग्रीन बिल्डिंग में परिवर्तित किये जाने पर अनुज्ञेय एफ.ए.आर. के अतिरिक्त 5 प्रतिशत (0.05) एफ.ए.आर. निःशुल्क देय होगा, बशर्ते क्र. सं. 1 (i) से (iv) पर अंकित शर्तों की अनुपालना की गई हो।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
5. उप शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय